प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
कार्यालय प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (अग्रणी) सिवनी(म.प्र.)
Email: pgcollege_seoni@rediffmail.com,telephone 07692-220543,Fax07692227154
(ACCREDITED BY NACC * B * GRADE Dt.14/06/2019)

क्रमांक/ 1870/2024

सिवनी,दिनांक 22/ 08 /2024

संशोधित विज्ञापन

//दिव्यांगजनों हेतु विशेष भर्ती अभियान//

कार्यालय प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (अग्रणी) महाविद्यालय सिवनी मप्र. के पत्र क्रमांक 1788/2024 सिवनी दिनांक 12/08/2024 दिव्यांगजनों के रिक्त पदों पर वॉक-इन-इंटरव्यू (विशेष भर्ती) के माध्यम से नियुक्ति हेतु विज्ञापन को निरस्त करते हुये निम्न संशोधित विज्ञापन जारी किया जाता है।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत सिवनी जिले में निम्नानुसार दिव्यांग जनों के रिक्त पदों हेतु विशेष भर्ती अभियान के तहत निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यार्थियों के दिये दिनांक 13 सितम्बर 2024 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र.	पदनाम/ वेतनमान	पदश्रेणी	शैक्षणिक योग्यता	दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित रिक्त पदों की संख्या			
				"लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मक्त बौनापन, एसिड अटैक्, मस्कुलर डिस्ट्राफी(LD)"	"बहरे और कम सुनने वाले(EH) "	" दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि (VH)"	"ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बिमारी और बहुविकलांगता (MD)"
1	भृत्य 15500-49000	चतुर्थ श्रेणी	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	-	01	-	01

उक्त विज्ञापन के आवश्यक नियम एवं निर्देश तथा आवेदन का प्रारूप महाविद्यालय के वेबासाइट https://highereducation.mp.gov.in/?orgid=415 पर उपलब्ध है।

22.8.24
प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. P.G. College
SEONI (M.P.)

परिशिष्ट -1

निर्धारित समिति

1. नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी - प्रदेश स्तर पर्यवेक्षक
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक - संभागीय पर्यवेक्षक
3. प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय - जिला मुख्यालय, अध्यक्ष
4. प्राचार्य संवंधित शासकीय महाविद्यालय - सदस्य (नियोक्ता)
5. प्रत्येक महाविद्यालय के 02 प्राध्यापक, - सदस्य
6. सामाजिक न्याय विभाग (उप संचालक) - विशेष आमंत्रित सदस्य

शैक्षिणक योग्यता/अर्हता

1	प्रयोगशाला परिचारक	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण,
2	भृत्य	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण
3	अन्य चतुर्थ श्रेणी	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियमानुसार

आवश्यक नियम एवं निर्देश :-

1. आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण पत्र की स्वंय सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित है ।
4. आवेदक का म.प्र. में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
6. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है।
7. संबधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ही प्रमाण-पत्र मान्य होगा, ऐसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है वे अपात्र मान्य किये जावेंगे तथा साथ ही यू.डी.आई.डी. से जारी दिव्यांगता डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
8. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, उस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
9. जिस आवेदक की 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

10. साक्षात्कार से पूर्व संबंधित पद की समस्त अर्हता/योग्यता आवेदक के पास होना आवश्यक है।

11. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा भोपाल के पास सुरक्षित होंगे।

12. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 17/07/2014 के अनुसार निःशक्तजनों की नियुक्ति के पश्चात् एवं उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से निःशक्तता प्रमाण पत्र का परिक्षण कराया जाये।

13. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक बधिर श्रेणी के निःशक्तजनों की शासकीय भर्ती से पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) कराना अनिवार्य है।

14. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.4 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाये, यह स्पष्ट किया गया है कि वॉक-इन-इंटरव्यू से आशय साक्षात्कार के लिए पृथक से अंक दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के रिक्त पदों के लिए नियमों में उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता के आधार पर मैरिट सूची बनायी जाकर पद पूर्ति की जाए।

15. इस विशेष भर्ती अभियान में सामान्य प्रशासन विभाग एवं मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के समय-समय पर जारी नियम एवं निर्देश लागू किये जावेंगे।

16. विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।